रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15012022-232664
CG-DL-E-15012022-232664

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 22] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 14, 2022/पौष 24, 1943
No. 22] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 14, 2022/PAUSHA 24, 1943

भारतीय विधिज्ञ परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जनवरी, 2022

फा.सं. नियम–12 (1)(ए) में संशोधन.—अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव परिषद् की बैठक में अध्यक्ष या परिषद् द्वारा निर्धारित समय और स्थान पर होगा।

हालांकि, महामारी जैसी असाधारण स्थिति के तहत, जिसमें सामाजिक और शारीरिक दूरी आदि की आवश्यकता होती है, या तो जहां केंद्र सरकार या संबंधित राज्य सरकार (जहां बैठक होनी है) लॉकडाउन के आदेश/गमनागमन को प्रतिबंधित करती है और जिसने संस्था के कामकाज और कामकाज सुचारू रूप से जारी रखने के लिए देश को कई तहर से आभासी (Virtual) होने के लिए बाध्य किया है, ऐसी परिस्थिति में परिषद् या उसके अध्यक्ष चुनाव की उपयुक्त, व्यावहारिक तरीका और प्रक्रिया अपनाने पर निर्णय ले सकते हैं, जिसमें बैठक के दौरान, क्या पदाधिकारियों के चुनाव आभासी (Virtual) तरीके से चुनाव कराने हैं और/या संकर तरीका (hybrid mode) यानी आभासी (Virtual) या भी शारीरिक रूप (Physical Mode) से या केवल आभासी (Virtual) तरीके से कराना है। परिषद् या उसके अध्यक्ष चुनाव की उपयुक्त और व्यावहारिक तरीका और प्रक्रिया पर निर्णय ले सकते हैं, जिसमें बैठक के दौरान, पदाधिकारियों के चुनाव आभासी (Virtual) और/या संकर तरीका (hybrid mode) यानी आभासी (Virtual) साथ ही साथ भौतिक रूप से भी चुनाव कराने हैं या केवल आभासी (Virtual) रूप से ही कराये जाने हैं, इस संदर्भ में निर्णय लिये जायेंगे।

नियम–12 (1)(सी) में जोड़ा जाने वाला प्रावधान (Proviso):-

बशर्ते कि नियम–12 उप–नियम–1(ए) के तहत उल्लिखित परिस्थितियों में आभासी (Virtual) और/या संकर तरीका (hybrid mode) चुनाव–बैठक (Election meeting) के लिए पीठासीन अधिकारी किसी उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश या पूर्व न्यायाधीश होंगे, चुनाव सभा के आभासी (Virtual) और/या संकर तरीका (hybrid mode) में,

आभासी (Virtual) मतदान की प्रक्रिया तभी शरू होगी जब भौतिक रूप (Physical) से सभी मतदाताओं द्वारा (यदि कोई हो) अपना मतदान कर लिया हो। परिषद् या अध्यक्ष चुनाव संचालन हेतू एक से अधिक पीठासीन अधिकारी/संचालन पदाधिकारी नियुक्त कर सकेंगे, बशर्ते कि हर हाल में पीठासीन अधिकारी/संचालन पदाधिकारी किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश या न्यायधीश ही होंगे।

हालांकि, किसी एक पीठासीन अधिकारी/संचालन पदाधिकारी द्वारा संचालित किया गया चुनाव भी वैध माना जायेगा।

आभासी (Virtual) और/या संकर तरीका (hybrid mode) चुनाव बैठक के लिए पीठासीन अधिकारी मतदान प्रक्रिया (सदस्यों के बीच मतदान के बारे में पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने के लिए) के मानदंडों को तय करने का एकमात्र प्राधिकारी होगा और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मतदान डालने से संबंधित सभी मुद्दों पर उसका निर्णय अंतिम होगा।

आभासी (Virtual) और/या संकर तरीका (hybrid mode) चुनाव बैठक के लिए पीठासीन अधिकारी से यह सुनिश्चित करने की अपेक्षा की जाएगी कि एक मतदाता द्वारा भौतिक रूप से या आभासी (Virtual) डाले गए मतदान की जानकारी दूसरे मतदाता को नहीं होनी चाहिए। पीठासीन अधिकारी (recordings) अभिलेखबद्ध (recordings) को अपने पास ही सुरक्षित रखेगा।

नोट– यदि 51 प्रतिशत से अधिक सदस्य (मतदाता) चुनाव सभा में { भौतिक (physical) या आभासी (virtual)} भाग लेने /शामिल होने में सक्षम हो गये हैं, तो चुनाव के परिणाम प्रभावी नहीं होंगे। भौतिक रूप (Physical) निर्वाचन बैठक के लिए पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति के संबंध में नियम यथावत रहेंगे।

नियम–12 (2) में संशोधन

अध्यक्ष या उपाध्यक्ष तीन साल की अवधि के लिए या भारतीय विधिज्ञ परिषद् के सदस्य के रूप में अपने पद के कार्यकाल तक, जो भी हो, तक पद पर रहेंगे।

श्रीमंतो सेन, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./582/2021-22]

BAR COUNCIL OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th January, 2022

F. No. Amendment in Rule-12(1)(a) .—The election of Chairman and Vice-Chairman shall be held at a meeting of the Council at a time and place to be fixed either by the Chairman or by the Council.

However, under extra ordinary situation like pandemic, including situations which necessitates social and physical distancing, etc. or where either Central Government or the concerned State Government (where meeting is to be held) orders for Lockdowns/restricts movement and which has constrained the nation to go virtual in many respects, in order to keep up the functioning, and working of the institution, the Council or its Chairman may decide upon the appropriate, feasible and practical mode and process of elections, wherein during the course of the meeting, the decision whether to conduct elections of office bearers virtually and/or whether to hold elections by hybrid mode i.e. virtually as well as physically or only virtually may be taken.

Proviso to be added to Rule-12(1)(c)

Provided that under the circumstances mentioned under Sub-Rule-1(a) of Rule-12, the Presiding Officer for virtual/hybrid election meeting shall be a former Chief Justice or a former Judge of any High Court. In a virtual/hybrid mode of election meeting, the process of virtual voting shall begin only after completion of voting by all the voters present physically (if any) cast their votes. The council or the Chairman may appoint more than one Presiding Officer/Conducting Officer to conduct Hybrid/virtual election-meeting. However, in any case, the Presiding Officer/Conducting Officer shall only be either a former Chief Justice or former Judge of any High Court. However, the election conducted by only one Presiding Officer/Conducting Officer shall be valid election.

The Presiding Officer for virtual/hybrid election meeting shall be the sole authority to decide the norms for voting process (to maintain full secrecy about the voting among the members) and his decision on all the issues relating to casting votes as per the decided process shall be final.

The Presiding Officer for virtual/hybrid election meeting shall be expected to ensure that the votes cast by a voter physically or virtually, should not be known to the other voter. He shall keep the recordings safe with him only.

Note : The results of the election would not be affected, if more than 51 percent of Members (voters) have been able to attend/join the election meeting (either physically or virtually). For physical elections, there shall be no change in the rule regarding the appointment of Presiding Officer for the Meeting.

Amendment in Rule-12(2)

The Chairman or the Vice-Chairman shall hold office for a period of three years, or until his term of office as Member of the Bar Council of India ceases whichever is earlier.

SRIMANTO SEN, Secy.
[ADVT.-III/4/Exty./582/2021-22]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.01.15 13:03:17 +05'30'